

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI**

No.F.14(18)/LA-2011/ *law/18*

Dated 29 the February, 2012

NOTIFICATION

No.F.14(18)/LA-2011/ *law/18* - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 16th February, 2012 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2011
(DELHI ACT 02 OF 2012)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 12th January, 2012)

[16th February, 2012]

An Act to further amend the Delhi Co-operative Societies Act, 2003

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement	<p>1. (1) This Act may be called the Delhi Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011.</p> <p>(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.</p> <p>(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.</p>
Amendment of section 25.	<p>2. In the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in the proviso to section 25, for clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-</p> <p>" (c) where the Government is a member of the co-operative society, each person nominated by the Government on the committee shall have one vote;</p> <p>Provided that where the Government has subscribed to the share capital of such co-operative society, the voting rights of the Government nominees shall be in proportion to the share of the Government in the paid up equity of the co-operative society which shall be distributed among the nominated members equally;"</p>
Amendment of section 35.	<p>3. In the principal Act, in section 35, in sub-section (10), for clause (cc), the following clause shall be substituted, namely:-</p> <p>" (cc) where the total amount of issued equity share capital held by the Government is sixty per cent or more of the total issued share capital or the Government has given loan or made advances to the co-operative society or guaranteed the</p>

DVS

repayment of principal and payment of interest on debentures or bonds issued by the co-operative society or guaranteed the payment of principal and payment of interest on loan and advances to the co-operative society in amount not less than sixty percent in the aggregate of the total amount so borrowed by the co-operative society, members of the committee including the Chairman in the following manner, namely:-

Percentage held by Government	percentage of members of the committee to be nominated by the Government
Sixty to seventy percent.	Seventy per cent;
Seventy to eighty percent.	Eighty per cent;
Eighty to ninety percent.	Ninety per cent;
Above ninety percent.	Hundred per cent:

Provided that the right once accrued under this clause shall continue until the percentage of the amount in respect of share contribution or guaranteed loan goes down to less than sixty per cent;".

DVS

Tarun Sahrawat
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं0 फा0 14(18)/एलए-2011/Law/18

दिनांक 29 फरवरी, 2012

अधिसूचना

सं0 फा0 14(18)/एलए-2011/Law/18 — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 16 फरवरी, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

**“दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2011
(2012 का दिल्ली अधिनियम 02)**

(12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)


[16 फरवरी, 2012]

दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2003 को पुनः संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ	<p>1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।</p> <p>(2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर विस्तारित है।</p> <p>(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।</p>
धारा 25 का संशोधन	<p>2. दिल्ली सरकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके बाद “मूल अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 25 के परंतुक के खंड (ग) में निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“(ग) उपबंध है कि जहां सरकार सहकारी समिति का सदस्य है, सरकार द्वारा समिति में नामित प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होगा:</p> <p>शर्त यह है कि जहां सरकार ने सहकारी समिति की शेयर पूँजी में अंशदान किया है, वहां सरकारी प्रतिनिधि का मत अधिकार सहकारी समिति की अंशपूँजी में सरकार के भाग के अनुपात में होगा जिसका वितरण मनोनीत सदस्यों में बराबर-बराबर किया जायेगा;”</p>

धारा 35 का संशोधन	<p>3. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (10) में खंड (ग ग) के लिये निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा:—</p> <p>“(ग ग) जहां सरकार द्वारा रखी गई अंशपूंजी जारी अंशपूंजी की कुल राशि कुल जारी अंशपूंजी का साठ प्रतिशत या अधिक है या सरकार ने सहकारी समिति को ऋण दिया है या अग्रिम राशि दी है या मूलधन या सहकारी समिति द्वारा जारी डिबेंचरों या बॉर्डों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी है या समिति के मूलधन या ऋण तथा अग्रिम राशि पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी है जो समिति द्वारा उधार ली गई कुल राशि के साठ प्रतिशत से कम नहीं है, अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यों को मनोनयन निम्न प्रकार से होगा, अर्थात् :—</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">सरकार के पास</td><td style="width: 50%;">सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों का प्रतिशत</td></tr> <tr> <td>साठ से सत्तर प्रतिशत</td><td>सत्तर प्रतिशत;</td></tr> <tr> <td>सत्तर से अस्सी प्रतिशत</td><td>अस्सी प्रतिशत;</td></tr> <tr> <td>अस्सी से नब्बे प्रतिशत</td><td>नब्बे प्रतिशत;</td></tr> <tr> <td>नब्बे प्रतिशत से अधिक</td><td>सौ प्रतिशत;</td></tr> </table> <p>उपबंध है कि इस खंड के अन्तर्गत एक बार प्राप्त अधिकार तब तक जारी रहेगा, जब तक अंशपूंजी या ऋण गारंटी का प्रतिशत साठ प्रतिशत से नीचे नहीं जाता है।</p>	सरकार के पास	सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों का प्रतिशत	साठ से सत्तर प्रतिशत	सत्तर प्रतिशत;	सत्तर से अस्सी प्रतिशत	अस्सी प्रतिशत;	अस्सी से नब्बे प्रतिशत	नब्बे प्रतिशत;	नब्बे प्रतिशत से अधिक	सौ प्रतिशत;
सरकार के पास	सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्यों का प्रतिशत										
साठ से सत्तर प्रतिशत	सत्तर प्रतिशत;										
सत्तर से अस्सी प्रतिशत	अस्सी प्रतिशत;										
अस्सी से नब्बे प्रतिशत	नब्बे प्रतिशत;										
नब्बे प्रतिशत से अधिक	सौ प्रतिशत;										


 (तर्केश्वर सिंह)
 अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)